'पालिका क्षेत्र में नहीं रहेगा कोई नाला जाम'

रामगंजमण्डी, (निसं)। नगर पालिका अध्यक्ष अकलेश मेड़तवाल ने शुक्रवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता रामकेश मीणा, सहायक अभियंता हरिराम, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तरुण लहरी व कनिष्ठ अभियंता हिमांशु अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के साथ नगर पालिका के नाले और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाले का निरीक्षण किया। साथ ही तुरंत जाम नालों को दुरस्त करवाने के निर्देश दिए।

'किसानों के लिए ओटीएस योजना वरदान साबित होगी'

कोटा, (निसं)। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को बैंक अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत ओटीएस योजना 2025-26 के तहत आम जनता तक लाभ पहुंचाने की व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैंक के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसान हित में प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित 200 करोड़ की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत ओटीएस योजना वर्ष 2025-26 भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू कर मुख्यधारा में आने का अमूल्य अवसर दिया गया है। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, बैंक उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा एवं संचालक निहाल सिंह राठौड़, प्राची दीक्षित, रामकिशन मीना, मुकेश मीना,जगदीश प्रसाद मीना, जगदीश शर्मा, बाबूलाल बैरवा, मानगीलाल, सचिव ऋतु सपरा (उप रजिस्ट्रार) उपस्थित रहे।

बैठक में यह लिए फैसलें:- बैंक सचिव सचिव ऋतु सपरा (उप रजिस्ट्रार) ने बताया कि बैठक में 6 नए सदस्य बनाने की अनुमति देते हुए बैंक में नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया साथ ही 9 किसानों को 40 लाख का ऋण स्वीकृति किए गए। वर्ष 2025-26 का 356.55 लाख बजट पारित किया गया।

बोर्ड बैठक में अहमदबाद में विमान हादसे में मृत लोगों प्रति संवेदना व्यक्ति की गई और फिर बैठक की कार्रवाही प्रारंभ की गई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते कहा कि दुर्घटना की दुखद खबर अत्यंत पीड़ादायक है और मन को व्यथित करने वाली है। इस संकट की घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।

सार-समाचार

रेकॉर्ड को ऑनलाईन करवाने की मांग

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अवगत कराया कि राजीव गांधी भवन, नगर निगम कोटा दक्षिण एवं उत्तर के भू-तल पर स्थित रेकोर्ड रूम में ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड नहीं है, जिसके कारण नगर निगम का भूमि शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण रेकोर्ड गायब अथवा चोरी होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। कई बार पत्रावलियां नहीं मिलने या गुम हो जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा भी समस्त कार्य ऑनलाईन पोर्टल एवं राजकाज पर करने के निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। इस सन्दर्भ में नगर निगम कोटा दक्षिण एवं उत्तर के रेकोर्ड रूम में समस्त पत्रावलियों को स्कैन करवाकर ऑनलाईन कम्प्यूटराईज रेकार्ड संधारित करवाये जाने हेतु आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण एवं आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही एवं आदेश जारी करने हेतु पत्र लिखकर आग्रह किया गया है। इससे भूमि शाखा से संबंधित रेकॉर्ड रूम की पत्रावलियां गुम होने अथवा चोरी होने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट शुरू

कोटा, (निसं)। वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट (वीसीआई) के डॉयरेक्टर तुषार दुबे ने बताया की वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट मे नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को 90 प्रतिशत तक की भारी स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके लिए वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट (वीसीआई) मे स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट की शुरुआत शुक्रवार 13 जून से प्रारम्भ हुई है। जिसमे स्टूडेंट्स को 50 लाख तक की एडमिशन स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही कैश प्राइज,सर्टिफिकेट व मेडल्स भी दिए जाएगे। वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट (वीसीआई) के डायरेक्टर तुषार दुबे ने कहा की कम फीस मे स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देना वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट की प्राथमिकता है। पढ़ाई के लिए आर्थिक तंगी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को सम्बल प्रदान करने के लिए वंदना कैरियर इंस्टिट्यूट (वीसीआई) द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे है।

नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक

कोटा, (निसं)। राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में नई किरण नशामुक्ति केंद्र व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक खेला गया।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः- .ननिको(उ)/जनस्वा./2025/123-133 दिनांकः- 10.06.2025

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के स्टेशन क्षेत्र में स्थित राम मंदिर से हुसैनी नगर तक नाले की सफाई का कार्य करने हेतु पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा पद्धति द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट www.Kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुमानित राशि 12,33,000/- रूपये।

NIB CODE - DLB2526A2406
UBN NO. DLB2526WSRC07630

अति0 आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/25/4245

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति "अ" श्रेणी चौमहला जिला-झालावाड (राज)

E- Mail – kums.chomela@rajasthan.gov.in & kumschaumhela@gmail.com
दूरभाष कार्यालय – 07435 – 284249

कमांक : 164-73 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक : 11.06.2025

कृषि उपज मंडी समिति चौमहला में रिक्त निर्मित परिसम्पत्तियों/भूखण्डों का 99 वर्षीय लीज पर द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवेदन करने हेतु आवंटन सूचना कमांक 59-68 दिनांक 06.05.2025 से आवदेन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों की जांच उपरान्त पाये गये पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची इस कार्यालय के पत्र कमांक 155-63 दिनांक 11.06.2025 से जारी कर दी गई है। उक्त सूची मण्डी समिति के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है। उक्त प्रकाशित सूची के सम्बन्ध में किसी भी फर्म/आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25.06.2025 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सचिव

राज.संवाद/सी/25/4166

श्री अग्रसेन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोटा

शाखा कार्यालयः 289, शोपिंग सेण्टर, गर्ग किचन के सामने कोटा

सप्तम वार्षिक साधारण सभा की सूचना

दिनांकः-12.06.2025

सोसायटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सोसायटी की साधारण सभा दिनांक 29 जून 2025 प्रातः 11:00 से 2:30 बजे तक इको होटल्स एंड रिसोर्ट, प्लाट नं. A-46 रेजोनेंस के पास, झालावाड रोड कोटा के सभागार आहूत की गयी है। कृपा सभा में पधारने का कष्ट करें। सभा की कार्यसूची निम्न प्रकार है:

1. पिछली साधारण सभा की कार्यवाही का पठन एवं अनुमोदन।, 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 की बेलेन्स सीट एवं लाभ हानि खाता पर विवेचन एवं पारित करना।, 3. वर्ष 2025-26 के लिये ऑडिटर की नियुक्ति करना।, 4. वर्ष 31.03.2025 तक के शेयर धारकों को लाभांश की घोषणा एवं अनुमोदन।, 5. वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन करना।, 6. अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष जी की अनुमति से।

सचिव

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/101003 **लोक इश्तहार** दि.13.06.2025

श्री KISAAN PRIME ESTATE PVT. LTD. SIGANTURE AUTHORITY RAJPAL SAINI पुत्र श्री KEDAR MAL SAINI जाति MALI निवासी KHARK SINGH WALI KOTHI, JHAJHAR, JHAJHAR, JHUNJHUNU ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामनगर, लाडपुरा (कोटा)	KISAAN PRIME ESTATE PVT. LTD. PLOT NO.11A, SHIVSHANKAR COLONY, MANSAROVER METRO STATION MAIN GOPALPURA BYPASS JAIPUR	688/655	670	0.067
			691/108	10	0.001
			693/675	350	0.035
				कुल	0.103

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13/06/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/उपायुक्त-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/3143 दिनांकः-12.06.2025

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री डी.सी. जैन एवं मितेश जैन पुत्र श्री डी.सी. जैन निवासी-सी-211 तलवण्डी, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या-सी-211 तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3656.50 वर्गफुट की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड संख्या-सी-211 तलवण्डी-क्षेत्रफल 3656.50 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा (राज.) क्रमांक : विक्रय/83/1221 दिनांक 15.11.1983 से श्री डी.सी. पुत्र श्री एम.सी. जैन को नीलामी में खरीद किया गया है। श्री डी.सी. पुत्र एम.सी. जैन की मृत्यु दिनांक 01.01.2024 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती गोरेश जैन एवं जोली जैन पुत्री स्व. श्री डी.सी. द्वारा पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 08.02.2010 से अपना हक अपनी माता श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री डी.सी. जैन एवं भाई मितेश जैन पुत्र श्री डी.सी. जैन के हक में त्याग दिया है। श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री डी.सी. जैन एवं मितेश जैन पुत्र श्री डी.सी. जैन के नाम लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के लीज डीड निस्पादन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड की लीज डीड निस्पादन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. 722 **लोक सूचना** दिनांक-13.6.25

आवेदक श्री आर एल जे एग्रो प्रा.लि. जर्ये डायरेक्टर अनिरुद्ध गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता व शुभम फोकरा पुत्र श्री बृजगोपाल फोकरा की कृषि भूमि राजस्व ग्राम हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम हट्टीपुरा	639/44 रकबा 0.9228 है.	कुल रकबा 0. 9228 है. कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 13.6.25 को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद बून्दी

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/842 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांकः-09.06.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका रावतभाटा का आवासीय बिखरा भूखंड संख्या बी-2 साईज 120x80 क्षेत्रफल 9600 वर्गफीट को नीलाम दिनांक 12.01.2012 अंतर्गत श्री लादूलाल गुर्जर पिता श्री दीपाजी गुर्जर निवासी कांगणों का खेडा मंगीरोव, भीलवाडा (राज.) को लीज होल्ड पर विक्रय किया गया था। जिसकी पालिका द्वारा 99 वर्षीय लीज डीड (पट्टा) क्रमांक 42 दिनांक 01.01.2013 एवं पंजीयन दिनांक 03.01.2013 से जारी की गयी। जिससे प्राप्त स्वामित्व अधिकारों के तहत इस भूखंड के लीजधारक ने यह भूखंड दो भागों में उपविभाजित कर एक भाग पूर्वी दिशा का साईज 120x40 क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट उपविभाजित भूखंड संख्या B2-I के रुप में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2025 मय उपविभाजित साईट प्लान से आवेदक श्री कमलेन्द्र सिंह हाडा पिता श्री किशन सिंह हाडा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया है तथा दूसरा भाग पश्चिम दिशा का साईज 120x40 क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट उपविभाजित कर भूखंड संख्या B2-II के रुप में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2025 मय उपविभाजित साईट प्लान से आवेदक श्रीमती मधु कंवर पत्नी श्री कमलेन्द्र सिंह हाडा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया है।

जिसके आधार पर आवेदकों ने इस उपविभाजित भूखंड के उपविभाजन का अनुमोदन एवं बाद अनुमोदन नामान्तरण पालिका रिकोर्ड दर्ज करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन मय उपविभाजन प्लान के प्रस्तुत किया गया है। जिसका अवलोकन इस कार्यालय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त भूखंड के उपविभाजित प्लान का अनुमोदन किये जाने एवं बाद अनुमोदन उपविभाजित भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकोर्ड में दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2025/2423 दिनांकः-13.6.25

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास संख्या A-800 प्रेम नगर योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-980 दिनांक 26.09.2013 द्वारा श्री सरदार ज्ञान सिंह पुत्र श्री सरदार बिशाखा सिंह को आवंटित किया गया था। श्री सरदार ज्ञान सिंह की मृत्यु दिनांक 16.08.2024 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात सरदार ज्ञान सिंह के विधिक वारिसान के द्वारा श्री बलकार सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार ज्ञान सिंह के पक्ष में हक का त्याग किया है। हकत्याग ग्रहिता श्री बलकार सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार ज्ञान सिंह के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या A-800 प्रेम नगर योजना का नाम हस्तान्तरण श्री बलकार सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार ज्ञान सिंह नाम से जारी कर दिया जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/461 **विज्ञप्ति** दिनांकः-12.6.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम शिवपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना चित्रगुप्ता कालोनी भूखंड संख्या 25 खसरा नं. 73 आवेदक/आवेदिका श्री राम किशन वर्मा पुत्र श्री केसरी लाल निवासी 204 बसंत विहार कोटा राज. द्वारा ऑन लाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1585 दिनांक 04.09.2013 को श्री मूर्ति बाई पत्नी श्री राम किशन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 28.09.2022 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पति रामकिशन वर्मा, पुत्र रघुराज वर्मा, भरत राज, नीरज बालनिया, हेमंत नायक, गजेन्द्र नायक, पुत्री शकुंतला द्वारा जर्ये रजि. रिलीज डीड दिनांक 30.03.2025 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री राम किशन वर्मा पुत्र श्री केसरी लाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 56/2025

चूंकि श्रीमती विक्टोरिया कैथेरिना सिंह पत्नि श्री विजय सिंह निवासी ए-1 पृथ्वी एन्क्लेव सिविल लाईन कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''कोटा हेरीटेज सोसायटी'' सुखधाम कोलोनी सिविल लाईन बी III कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 13.08.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

न्यायालय जिला सेशन न्यायाधीश कोटा (राज.)

प्रकरण भारतीय उत्तराधिकार
क्रम संख्या - 153 / 2024

चन्द्रकला पत्नी स्व. हरिप्रसाद शर्मा आयु 62 साल निवासी वार्ड नम्बर-13 बोस बस्ती सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान ..... प्रार्थी

- बनाम -

(1) कमलकान्त पुत्र स्वर्गीय हरिप्रसाद आयु 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 13 बोस कालोनी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (2) अन्तिमा पत्नी अभिषेक दाधीच पुत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद आयु 38 साल, निवासी मालियों के मन्दिर के पास टोडाराय सिंह जिला टोंक (3) मनीषा दाधीच पत्नी दिनेश कुमार शर्मा पुत्री स्वर्गीय हरीप्रसाद आयु 41 साल, निवासी ग्राम चरडाना तहसील एवं जिला बून्दी, राज. (4) विजय लक्ष्मी पत्नी सुनील दाधीच पुत्री स्वर्गीय हरीप्रसाद आयु 31 साल, निवासी पचेलखुर्द जिला बारां, राजस्थान (5) सीमा दाधीच पत्नी सत्यश्री आचार्य पुत्री स्व. हरीप्रसाद शर्मा, निवासी भैरव चौक तिवाडी मोहल्ला माण्डल जिला भीलवाड़ा (6) खास व आम (7) श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय एसबीआई शाखा सुल्तानुपर, कोटा ..... प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भा.उ.अ.

- सूचना -

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया ने उक्त आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय हरिप्रसाद शर्मा की मृत्यु 21.07.2023 को हो गयी है। मेरे स्वर्गीय पति हरिप्रसाद शर्मा की जमाशुदा राशि 15 लाख रुपये एसबीआई शाखा सुल्तानपुर कोटा में जमा है। जिसका एकाउन्ट नम्बर 7816577654-3 तथा एएमआरपीएस संख्या 7367ई है। जिसे कि प्रार्थीया के पति हरिप्रसाद शर्मा द्वारा 30.12.2022 को जमा करायी गयी थी जिसे प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिये उक्त राशि को प्राप्त करने हेतु प्रार्थीया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे। अतः जिस व्यक्ति किसी को प्रार्थी के पक्ष में उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में एतराज हो तो स्वयं या अपनी आपत्ति दिनांक **28.08.2025** को **10:00 बजे** पेश करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। यह सूचना हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.05.2025 को जारी किया गया है।

मोहर

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा (राज.)

खोया पाया

मेरे मकान नंबर 2 म 9 विज्ञान नगर कोटा का साइट पजेशन लेटर, आफिस पजेशन लेटर, नोड्यूज लेटर अनुज्ञा पत्र, वसीयतनामा, इकरारनामा, मुख्तारनामा, संशोधित कार्यालय आदेश व कार्यालय आदेश गुम हो गए है किसी को मिलने पर सूचित करें।

श्रीमती रश्मि देवी
मो. 9929841094

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.)

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड़, अजमेर – 305 004

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए+' श्रेणी प्रदत्त

साक्षात्कार

विज्ञापन संख्या 03-05/2025

क्षे.शि.सं, अजमेर में संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों की आवश्यकता है। साक्षात्कार की तिथि, समय एवं अधिक जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट **www.rieajmer.raj.nic.in** पर देखें।

पद	संख्या	समेकित वेतन	पद	संख्या	समेकित वेतन
प्रोडेक्शन असिस्टेंट/साउण्ड रिकौर्डिस्ट/ टेक्नीशियन	01	42,000.00 p.m.	लैब असिस्टेंट	01	35,000.00 p.m.
वोकेशनल अध्यापक (ब्यूटी एवं वेलनेस)	01	26250.00 p.m.	सिस्टम एनालिस्ट	01	56,000.00 p.m.
वोकेशनल अध्यापक (रिटेल)	01	26,250.00 p.m.	टेक्नीकल कोर्डिनेटर	01	56,000.00 p.m.
एन.टी.टी./ई.सी.ई ट्रेनिंग टीचर	03	31,000.00 p.m.	प्रोड्यूसर ग्रेड द्वितीय	01	42,000.00 p.m.
हैल्पर	03	15,000.00 p.m.	इंजीनियर ग्रेड द्वितीय	01	50,000.00 p.m.
जेपीएफ	04	35,000.00 p.m. (Non NET) 37,000.00 p.m. (NET & Ph.D)	ग्रोफिक्स डिजाइनर	01	50,000.00 p.m.

cbc21209/12/0003/2526

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर की प्राईम लोकेशन जगतपुरा में

सेन्ट्रल स्पाईन योजना स्थित व्यावसायिक भूखण्ड एवं रामचन्द्रपुरा योजना स्थित संस्थानिक भूखण्ड

ई-नीलामी के माध्यम से खरीदने का सुनहरा अवसर

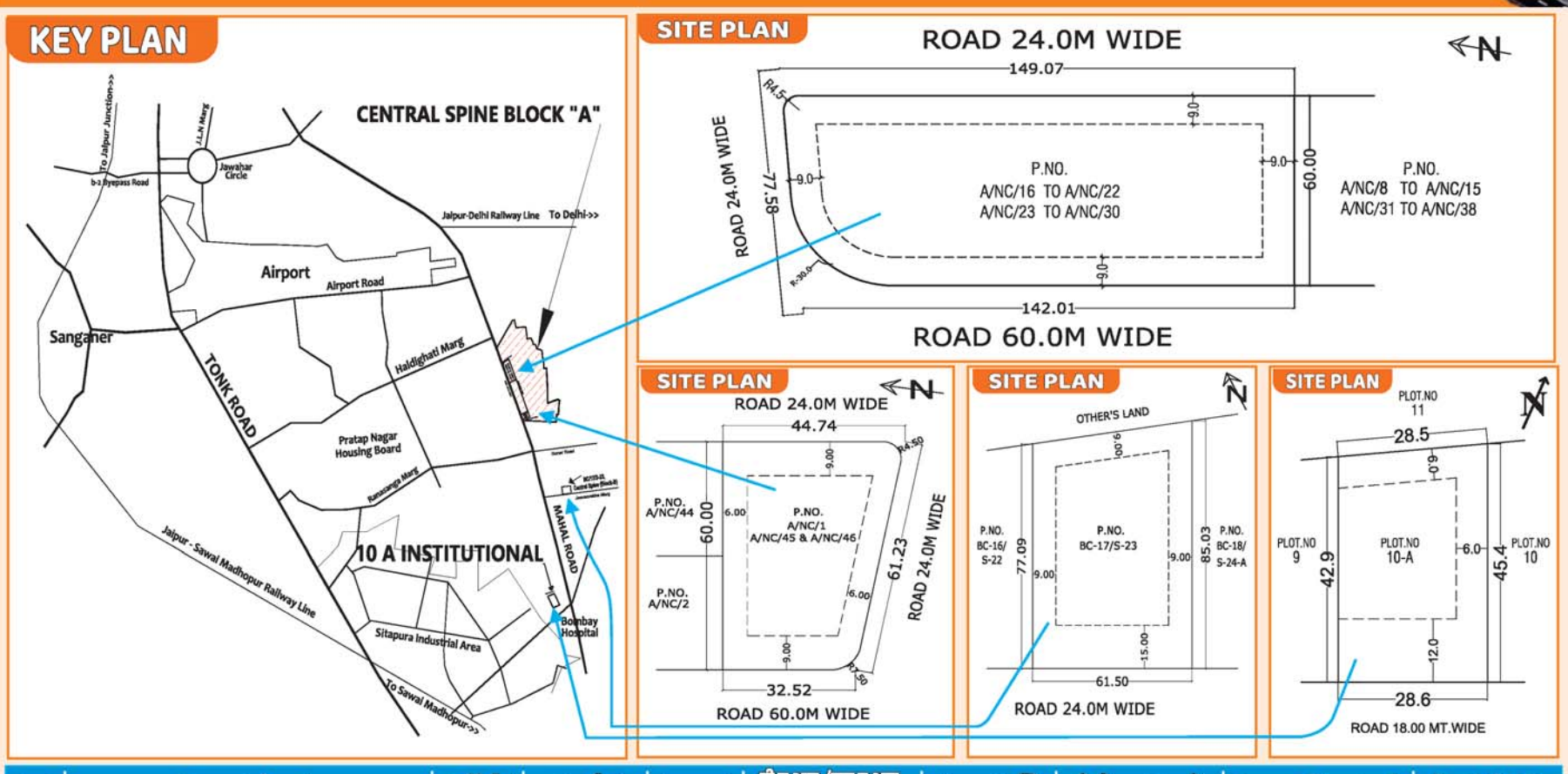

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर हाँ/ना	साईज (वर्ग मीटर)	प्रकार	बी.ए.आर./एफ.ए.आर. अधिकतम ऊंचाई (मीटर) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अमानत राशि (रुपये)	बोली प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.मी.)	अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	नीलामी की अंतिम तिथि व समय
1	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/16 To A/NC/22 & A/NC/23 To A/NC/30 (Corner) Central Spine(Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	8570.11	व्यावसायिक	नियमानुसार	5,22,77,680	3,05,000	27.06.2025 11:00 AM	30.06.2025 12:30 PM
2	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/1, A/NC/45 & A/NC/46 (Corner), Central Spine (Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	2306.25	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,45,29,380	3,15,000	01.07.2025 11:00 AM	02.07.2025 12:30 PM
3	व्यावसायिक प्लॉट नं. BC/17/S-23, Central Spine (Block-B), Jaipur (Zone-9)	हाँ	4985.19	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,49,55,570	1,50,000	18.07.2025 11:00 AM	21.07.2025 12:30 PM
4	संस्थानिक प्लॉट नं. 10A, Ramchandrapura Scheme, Jaipur (Zone-9)	ना	1000.00	संस्थानिक	नियमानुसार	24,20,000	1,21,000	22.07.2025 11:00 AM	23.07.2025 12:30 PM

* अधिकतम ऊंचाई: एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के अनुसार, जो भी कम हो। बोली विस्तार: बोली लगाने का समय आगामी 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जा सकता है (असीमित समय तक जब तक बोलियां लगातार प्राप्त होती रह